

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फि०न० 420/2025

1 विवेक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योनारायण
 2. विक्रान्त कुमार पुत्र ओमप्रकाश
 3. कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश
 4. शिक्षा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुशील ज्याणी जाति बिश्नोई निवासी आदमपुर जिला हिसार।
 5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
- जाति बिश्नोई निवासीयान 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 4 केएसपी के प०न० 178/301 मु० 33 किलानं० 1 ता 4, 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, 7 ता 12, 19 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० रास्ता,, प०न० 179/302 मु० 38 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु०, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै०मु० खाला, 4/1/.228, 4/2/025 है० गै०मु० खाला, 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6 ता 12 कुल 7.590 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार वादी का खाता प्रतिवादी स० 1 से तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे, चक नं० 4 केएसपी के खाता सं० 10/10 में से ओमप्रकाश का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)